पंचायत निगरानी संख्या : 150/2024

सायरी देवी बनाम भंवरलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम हुक्म की तामिल में
14-07-2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया की ओर आदेशिका दिनांक 29.05.2024 को अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह कुम्पावत की ओर से अण्डरटेंकिग ली गई थी, किन्तु आदिनांक वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीया को असालतन अथवा वकालतन उपस्थित होने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। प्रार्थीया की ओर से आज भी दरम्यान पेशी भी कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थीया/अधिवक्ता को तीन बार आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पंचायत निगरानी याचिका अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	

Scanned with OKEN Scanner